

क्र0 स0	विभाग का नाम	जन-सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध दण्ड पाठित किया गया	दण्ड पाठित करने का दिनांक	दण्ड से निहित धनराशि	पाठित दण्ड के विरुद्ध विभाग द्वारा वसूल की गयी धनराशि की अद्यतन स्थिति	विभाग द्वारा जन- सूचना अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की स्थिति (यदि कोई हो)	पाठित दण्ड के बारे में विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	राज्य विभाग, मुम्बई मुम्बई	श्री रमा शंकर, उपायुक्त राज्य कर	11-07-2018	₹0 5,000/-	शून्य	शून्य	श्री धर्मवीर सिंह द्वारा भांगी गयी जनसूचना के सम्बन्ध में माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ ने आदेश दिनांक - 11.07.2018 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुम्बई पर वादी को सूचना उपलब्ध न करने के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति ₹0-5000.00 का अर्थदण्ड दिनांक 11-07- 2018 को हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, मुम्बई पर लगाया गया है, जिसके सम्बन्ध में तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर के वेतन से उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि रुपये 5000-00 की कटौती हेतु हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटला को हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुम्बई के पत्र संख्या- 2905 दिनांक 13-03-2020 द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि के जमा के साक्ष्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। सूचना प्राप्त न होने की दशा में हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुम्बई के पत्र संख्या- 1931 दिनांक 01-02-2021 द्वारा हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटला को अनुरोध प्रेषित कर दिया गया है, जिसके क्रम में हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर इटला द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुम्बई को अपने पत्र संख्या- 305 दिनांक 18-02-2021 द्वारा उपरोक्त धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। अर्थदण्ड जमा न होने की दशा में हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर मुम्बई के पत्र सं0 458 दिनांक 28-06-2021 द्वारा तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर को अर्थदण्ड जमा करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके क्रम में तत्कालीन हिन्दी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर	शून्य

02	राज्य विभाग, मुसदाबाद जोन, मुसदाबाद	श्री रमन, सहा0आयु0एक0 एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर	19-06-2018	₹0 25000.00	<p>अधिरोधित अर्थदण्ड जमा कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को इस स्तर से पत्र संख्या- 800 दिनांक 07-03- 2020 भेजित किया गया था । जिसके सम्बन्ध में दूरभाष पर प्राप्त जानकारी के अनुसार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा म10 आयोग के समक्ष प्रतिवेदन किया गया है । जिसकी सूचना जिलाधिकारी, बिजनौर की सेवा में भी भेजित की गयी है ।</p>	शून्य	<p>मुसदाबाद वर्तमान हिन्दी कश्चिन्तर (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, इटवा द्वारा पत्र संख्या 458 दिनांक 28.6.2021 भेजित करते हुये अवगत कराया गया है कि म10 आयोग द्वारा उक्त वाद में सुनवाई हेतु निम्न दिनांक 03.08.2021 के उपरान्त आरपित अर्थदण्ड रुपये 5000.00 की वसूली समाप्त करते हुये वाद निस्तारित कर दिया गया है। किन्तु इस संबंध में स्पष्ट आदेश के अभाव में क्षतिपूर्ति शुल्क 5000.00 जमा कराने हेतु पुनः पत्र संख्या 1686 दिनांक 27.12.2021 तथा पुन- पत्र संख्या 337 दिनांक 31-05-22 द्वारा पत्र भेजित किया गया है। जमा का प्रमाण- पत्र होले ही साक्ष्य महोदय की सेवा में भेजित कर दिया जायेगा ।</p>	शून्य
					<p>अधिरोधित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में माननीय जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 114 दिनांक 06-02-2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 15-02-2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है । सम्बन्धित अधिकारी द्वारा माननीय सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या- 477 दिनांक 30-01- 2021 के क्रम में भेजित किया गया है । पुनः पुनर्विचार प्राप्त कार्यालय पत्र सं0 214 दिनांक 19-02-2021 को भेजित किये जाने की सूचना असिस्टेन्ट कश्चिन्तर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1 बिजनौर के पत्र सं0 50 दिनांक 01-07-2021 को भेजित की गयी है ।</p>			

03	राज्य कर	श्री दिव्यामूर्ति, कार्यालय राज्य कर अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर	16.07.2018	25000.00	अधिरोपित अर्थादण्ड जमा करारये जाने हेतु संबंधित खण्ड के डि०कमि० को इस स्तर से पत्र सं०-769 28.02.2020, पुनः सं०- 816 दि० 18-03-2020 प्रेषित किये गये है।	शून्य	अधिरोपित अर्थादण्ड के संबंध में मा० जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या- 220 दिनांक 24.02.2020 जो इस कार्यालय को दिनांक 25.02.2020 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा जानकारी मिली है। अर्थादण्ड समाप्त हेतु इस स्तर से मा० सूचना आयुक्त के समक्ष प्रत्यावेदन पत्र संख्या-589 दिनांक 25.02.2021 से किया गया है। पुनः अस्सिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर एवं जनसूचना अधिकारी खण्ड-1, बिजनौर के पत्र सं०- 147 दिनांक 25.06.2021 द्वारा प्रत्यावेदन अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया है।	
04	राज्य कर	श्री राजेश कुमार, डिप्टी कमिश्नर(क०व०)/ अधिकारी, वा०क० गाजियाबाद	15.11.2017	25000.00	00	कोई नहीं	पुनर्वाकिका प्रा०पत्र मा० ३०प्र०राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 01.11.2018 में दाखिल किया गया है। आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा० ३०प्र० राज्य सूचना आयोग के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
05	राज्य कर	श्री जे०पी०सिंह, से०नि० डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०) / तत्कालीन जनसूचना अधिकारी, वा०क० गाजियाबाद	27.01.2016	25000.00	00	कोई नहीं	मा० ३०प्र० राज्य सूचना आयोग के समक्ष पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।	मा० ३०प्र० राज्य सूचना आयोग के पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र पर अन्तिम निर्णय/ आदेश निर्गत होने तक दण्ड की वसूली की कार्यवाही स्थगित की गयी है।
06	राज्य कर	श्री इन्द्रजीत भदौरिया, तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (प्रशा०)/जनसूचना अधिकारी, वा०क० मेरठ	02.01.2018	25000.00	00	00	कार्यवाही चल रही है।	कार्यवाही चल रही है।
07	राज्य कर	श्री यू०सी०शर्मा, वर्तमान में ज्वाइन्ट कमिश्नर (टैक्स आडिट) वाणिज्य कर, मुरादाबाद	23.10.2018 (३०प्र०) सूचना आयोग का	25000.00	शून्य	नहीं	दण्ड में निहित धनराशि जमा करारये जाने हेतु आहरण विवरण अधिकारी, मुरादाबाद को पत्र संख्या- 4407 दिनांक 01.01.2019 व अनुस्मारक पत्र	दण्ड प्राप्त अधिकारी द्वारा दिनांक 01.02.2019 में अर्पित दायर की गयी है।

